न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 267/2021

श्रीमती मन्जू देवी उम्र 55 साल पत्नी जगदीश प्रसाद शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी अणगासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– आवेदक

बनाम

1. सीताराम पुत्र सुरजाराम उम्र 57 साल
2. राजेश पुत्र मुरलीधर
3. अजय पुत्र मुरलीधर
4. विजया पुत्री मुरलीधर
5. लक्ष्मी पुत्री मुरलीधर
6. नारायणी पुत्री मुरलीधर

   जाति ब्राहम्ण, निवासीगण अणगासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब झुंझुनूं।
8. उप पंजीयक महोदय कार्यालय उप पंजियक झुंझुनूं जिला झुंझुनूं।

–– अनावेदक

— — —

प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिली मुकदमा सम्बन्धित मुकदमा उनवानी सीताराम बनाम मन्जू देवी वगै0 दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 94/21

— — —

उपस्थितः–
1. श्री सुशील कुमार जोशी, अभिभाषक – आवेदक की ओर से।
2. श्री अमित कुमार शर्मा, अभिभाषक – बार–बार आवाज लगाने पर भी अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बहस के दौरान उपस्थित नही।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 7 व 8 की ओर से।

आदेश

दिनांक 07.04.2022

प्रार्थीया श्रीमती मन्जू देवी की ओर से आवेदन पत्र मुन्तकिली मुकदमा निम्न प्रकार से पेश है कि हस्तगत आवेदन पत्र मे प्रतिवादी नं0 1 सीताराम पुत्र [illegible] ने स्वयं को फर्जी तौर पर जडाव देवी व रामदेव का दतक पुत्र बताकर एक दावा [illegible] सीताराम [illegible] मन्जू देवी आदि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान एस0डी0ओ0 साहब झुंझुनूं के न्यायालय में पेश किया जो अभी तक लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी सुनवाई के लिए 14.12.2021 [illegible] में विवादित भूमि गत [illegible] 122 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा थे जिसके मौजूदा ख0नं0 52 रकबा 1.99 हेक्टर वाके ग्राम अणगासर मे स्थित है। उपरोक्त भूमि की पूर्व खातेदार काश्तकार मु0 जडाव देवी थी मु0 जडाव देवी की मृत्यु के पश्चात् जडाव देवी का फौती इन्तकाल संख्या 82 बतौर विरासत इन्तकाल मुरलीधर के हक में भरा गया। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार मुरलीधर हुए। जिनके नाम इन्तकाल भरा जाकर रिकार्ड अमल दरामद किया गया। तत्पश्चात् मुरलीधर ने उपरोक्त भूमि दिनांक 23.06.1997 को आवेदिका मन्जू देवी को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया जिसका विधिवत विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1997 को श्रीमान उप पंजीयक महोदय झुंझुनूं के कार्यालय में तस्दीक करवाया गया तत्पश्चात विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 247 आवेदिका मन्जू देवी के नाम भरा जा कर मन्जू देवी का नाम अमल दरामद किया गया। इस प्रकार हस्तगत दावा में विवादित भुमि ख0न0 12 गत रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा जिसके मौजूदा ख0न0 52 रकबा 1.99 हैक्टर खरीद के रोज से आवेदिका बतौर मालिक खातेदार काश्तकार काबिज मालिक चली आ रही है। मौजूदा दावा के वादी सीताराम निहायती बेईमान व झगडालु व्यक्ति है जिसने उपरोक्त भूमि को हडपने के लिए इस पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तथा एक मुकदमा भूमि हडपने लेने के लिए श्रीमान एसडीओ साहब झुझुनू के न्यायालय में पेश किया जो उनवानी सीताराम बनाम मन्जू देवी आदि पेश किया जिसमें वादी सीताराम को कोई सफलता मिलने की कोई गुंजाईस नही रही है। तत्पश्चात उपरोक्त मुकदमा अदम हाजरी व अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा खारिज फरमाय दिया जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु सीताराम ने आज तक कोई कार्यावाही नही की। चूंकि जमीनों के भाव बढते जा रहे है। इस कारण दावा में वादी सीताराम ने पुनः एक हस्तगत दावा उनवानी सीताराम बनाम मन्जू देवी आदि मु0न0 94/21 पुनः पेश कर दिया है। वादी सीताराम ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर अथवा अन्य किसी तरीके से अपने प्रभाव में लेकर एक तरफा स्थगन आदेश विपक्षीगण की तामिल के बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झुठे तथ्य पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। मुकदमे की सूचना जरिये समन आवेदिका को प्राप्त होने पर आवेदिका ने योग्य निषेधाज्ञा योग्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए तथा सम्बन्धित दस्तावेजात पेश किए तथा अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि उपरोक्त विवादित भुमि ख0न0 12 के मौजूदा ख0न0 52 है जो ग्राम अणगासर है का वादी सीताराम न तो खातेदार काश्तकार है ओर ना ही उसका कभी कब्जा रहा है ऐसी स्थिति में उसके पक्ष में जारी किए गये स्थगन आदेश को निरस्त फरमाया जावे जिसके अभाव में श्रीमती मन्जू देवी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्रीमान शैलेश खेरवा ने आवेदिका की कोई सुनवाई नही की एवं प्रकरण में लम्बी–लम्बी पेशिया देने लगे। मौजूदा समय में वादी सीताराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा उनवानी सीताराम बनाम मन्जु देवी आदि पेश किया जिसके साथ एक आवेदन पत्र स्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया जो उनवानी सीताराम बनाम मन्जू देवी आदि है। जिसके मु0न0 53/21 है मुकदमा में वादी सीताराम की तरफ से सही तथ्यो को छिपवाया गलत तथ्यों एवं गलत आधारों पर पेश किया है। इस प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री शैलेश खेरवा से वादी सीताराम ने सांठ गांठ कर अथवा अन्य तरीके से प्रभाव में लेकर विपक्षीगण की तामिल के बिना स्थगन आदेश अपने हक में जारी करवा लिया। हस्तगत प्रकरण में आवेदिका मन्जू देवी की और से दिनांक 17.8.2021 को एक प्रार्थना पत्र आ0 9 नियम 8 व 9 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया गया कि वादी सीताराम द्वारा पूर्व में भी इसी आशय का एक मुकदमा पेश किया [illegible] 0न0 123/097 थे इसी न्यायालय में पेश किया गया था। जो दिनांक 03.11.20[illegible] री अदम पैरवी में खारिज फरमाया गया था उस रोज प्रतिवादी वकील उपस्थित था [illegible] तरह की कार्यावाही में सी.पी.सी. के आ0 9 नियम 8 व 9 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार [illegible] पक्षकारों के मध्य दूसरा मुकदमा न्यायालय में पेश नही कर सकता है। इस प्रकार वादी का हस्तगत मुकदमा खारिज होने योग्य है। इस प्रार्थना पत्र के बावजुद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस मुकदमा पर कोई गौर नही किया। जबकि वादी का मौजूदा मुकदमा हर सुरत में निरस्त होने योग्य है। तत्पश्चात 18.08.2021 को आवेदिका मन्जू देवी की ओर से एक प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पत्र अ0आ0 39 नियम 4 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि वादी सीताराम के हक में जारी किया गया एक तरफा स्थगन आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा वादी सीताराम द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र गुणा व गुणा के आधार पर अन्तिम रूप से निरस्त फरमाया जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदिका की कोई सुनवाई ना करते हुए आगामी पेशी दिनांक 23.08.2021 नियत फरमा दी गयी। दिनांक 23.08.2021 को राजस्थान राज्य के पूर्व राज्यपाल कल्याणसिंह का निधन हो जाने से आवेदिका की पत्रावली में आगामी पेशी 6.10.2021 नियत फरमा दी गयी इस कारण आवेदिका मन्जू की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमे की शीघ्र सुनवाई किए जाने का निवेदन किया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री शैलेश खेरवा ने आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर कोई ध्यान नही दिया और प्रतिवादी 2 लगायत 6 की तामिल हेतु पत्रावली जारी फरमायी गयी परन्तु वादी सीताराम ने प्रतिवादी नं0 2 लगायत 6 का मौजूदा निवास मुम्बई को छिपाते हुए उनका नकली आवास अणगासर बताकर तामिल भिजवायी है। जिस पर तामिल होने का प्रश्न ही नही है। इसी दौरान प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरूआत हो जाने के कारण दिनांक 5.10.2021 को ग्राम अणगासर के प्रशासन का कैम्प आयोजित किया गया जिसमे आवेदिका की पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 14.12.2021 नियत फरमा दी गयी आवेदिका इस बाबत श्रीमान एसडीओ साहब श्री शैलेश खेरवा के समक्ष आवेदिका के पति द्वारा व्यक्तिगत निवेदन किया जाने पर श्रीमान पी.ओ साहब द्वारा प्रार्थीया के पति को धमकाते हुए कहा कि चाहे जब आकर खडे हो जाते है। मुकदमे में कार्यवाही अपने हिसाब से करेगे। आपके कहने से किसी प्रकार की कार्यवाही नही करूंगा। उपरोक्त वर्णित अनुसार प्रार्थीया के पति प्रार्थीया की ओर से मुकदमा में हाजिर होकर जब भी निवेदन करते है। तो अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शैलेश खेरवा का व्यवहार पक्षपात पूर्ण ही नजर आता है। आवेदिका के अभिभाषक एवं पति के कथनों को ना सुनकर उनकी उपेक्षा करते हुए हस्तगत प्रकरण में वादी के हक में कार्यवाही करते हुए नजर आये इस प्रकार आवेदिका को पूर्ण विश्वास हो गया है। कि अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी श्री शैलेश खेरवा जब तक है तब तक प्रार्थीया को न्याय नही मिलेगा। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। विनाय समुख हाजा के लिए प्रार्थिया को प्रतिपक्षी के विरूद्ध मुकदमें में हुई अब तक पक्षपात पूर्ण कार्यवाही के कारण अन्दर हदुद अदालतें पैदा हुई। सम्बधित प्रकरण उनवानी सीताराम बनाम मन्जू देवी आदि मु0न0 दावा नं0 94/21 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र नं0 53/21 श्रीमान एसडीओ साहब झुंझुनूं के न्यायालय में लम्बित है जिसके विरूद्ध मुन्तकिली मुकदमा के लिए श्रीमान जी के न्यायालय को श्रवणाधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिली मुकदमा सेवामें प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदिका का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदिका के विरूद्ध वादी सीताराम द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद पत्र उनवानी सीताराम बनाम मन्जू देवी आदि मु0न0 94/21 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 212 आर टी एक्ट सपठित धारा अ0 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. मु0नं0 53/21 को श्रीमान एसडीओ साहब झुंझुनूं के न्यायालय से स्थानातरित कर श्रीमान जी स्वयं सुनवाई फरमावे या सक्षम व सुयोग्य न्यायालय में आगामी सुनवाई व विधि कुल निस्तारण हेतु स्थानांतरित फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं से प्रस्तुतीकरण का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक 137 दिनांक 09.03.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कराया कि उक्त उनवानी पत्रावली अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित की जाती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई आपत्ति नही है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि **अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है।** वादी सीताराम ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर अथवा अन्य किसी तरीके से अपने प्रभाव में लेकर एक तरफा स्थगन आदेश विपक्षीगण की तामिल के बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झुठे तथ्य पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री शैलेश खेरवा से वादी सीताराम ने सांठ गांठ कर अथवा अन्य तरीके से प्रभाव में लेकर विपक्षीगण की तामिल के बिना स्थगन आदेश अपने हक में जारी करवा लिया। हस्तगत प्रकरण में आवेदिका मन्जू देवी की और से दिनांक 17.8.2021 को एक प्रार्थना पत्र आ0 9 नियम 8 व 9 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया गया कि वादी सीताराम द्वारा पूर्व में भी इसी आशय का एक मुकदमा पेश किया जिसके मु0न0 123/097 थे इसी न्यायालय में पेश किया गया था। जो दिनांक 03.11.2004 को वादी सीताराम की अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमाया गया था उस रोज प्रतिवादी वकील उपस्थित था इस तरह की कार्यावाही में सी.पी.सी. के आ0 9 नियम 8 व 9 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वादी उन्ही पक्षकारों के मध्य दूसरा मुकदमा न्यायालय में पेश नही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री शैलेश खेरवा ने आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर कोई ध्यान नही दिया और प्रतिवादी 2 लगायत 6 की तामिल हेतु पत्रावली जारी फरमायी गयी परन्तु वादी सीताराम ने प्रतिवादी नं0 2 लगायत 6 का मौजूदा निवास मुम्बई को छिपाते हुए उनका नकली आवास अणगासर बताकर तामिल भिजवायी है। जिस पर तामिल होने का प्रश्न ही नही है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिली मुकदमा स्वीकार फरमाया जाकर आवेदिका के विरूद्ध वादी सीताराम द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद पत्र उनवानी सीताराम बनाम मन्जू देवी आदि मु0न0 94/21 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 212 आर टी एक्ट सपठित धारा अ0 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. मु0नं0 53/21 को श्रीमान एसडीओ साहब झुंझुनूं के न्यायालय से स्थानातरित कर श्रीमान जी स्वयं सुनवाई फरमावे या सक्षम व सुयोग्य न्यायालय में आगामी सुनवाई व विधि कुल निस्तारण हेतु स्थानांतरित फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री अमित कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया परन्तु बहस के दौरान बार–बार आवाज लगाने पर भी बहस हेतु उपस्थित नही हुए। अतः वकील अप्रार्थी सं0 1 की अनुपस्थिति मे बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के पीठासीन अधिकारी के पत्रानुसार उन्हे वर्णित प्रकरणों को दूसरे न्यायालय मे स्थानान्तरण करने पर कोई आपत्ति नही है बाबत रिपोर्ट पेश की है। अतः अदालत मातहत मे विचाराधीन प्रकरणों को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:26 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय [illegible] बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का [illegible] प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। पक्षकारों को उचित [illegible] मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति [illegible] को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं मे विचाराधीन उनवानी वाद पत्र सीताराम बनाम मन्जू देवी आदि मु0न0 94/21 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 212 आर टी एक्ट सपठित धारा अ0 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. मु0नं0 53/21 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

झुंझुनूं से न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी नवलगढ में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं उक्त पत्रावलियां न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ को भिजवा देवे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ उक्त प्रकरणों मे संबंधित पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के न्यायालय में दिनांक 02.05.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:26 IST
Reason: SelfAttested